10/2/23

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. NO. 1899 OF 2023

The Bihar Administrative Service Association ......**Petitioner**

Versus

The State of Bihar & Ors. ......**Respondents**

Subject:- **Supplementary Affidavit**

INDEX

Sl. No.	Particulars		Page No.
1.	**Supplementary affidavit on behalf of petitioner with I.D. Proof.**		1–6
2.	**Annexure-17**	True copy of the memo no. 11845 dated 13.12.2020.	7-8
3.	**Annexure-18 & 18A**	True copies of the minutes of the meeting dated 05.12.2022 and letter no. 4190 dated 06.12.2022.	9-20

Scanned with OKEN Scanner

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)
C.W.J.C. NO. 1899 OF 2023

The Bihar Administrative Service Association ......**Petitioner**

Versus

The State of Bihar & Ors. ......**Respondents**

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE PETITIONERS.

I, Sunil Kumar Tiwary, aged about 50 years (Male), son of Late Prithavi Raj, resident of B-403, Nandan Vatika, Sursudha Lane, East Boring Canal Road, P.S.-Buddha Colony, District-Patna-800001, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am the General Secretary of the petitioner association in the present case and as such, well acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That the present supplementary affidavit is being filed to bring on record certain documents which could not have been brought in the main writ application.

3. That Rule 2(iii) of the Rules 2018 defines IG Registration as "IG Registration" means Inspector-General of Registration as appointed under Indian Registration Act, 1908. It is stated that in terms of the

Scanned with OKEN Scanner

Registration Act, 1908 (16 of 1908), the Inspector General of Registration has been defined in Section 3 Part-II of the Act which is as follows:-

> "***Inspector – General of Registration*** *– (1) The State Government shall appoint an officer to be the Inspector-General of Registration for the territories subject to such Government.*
>
> *Provided that the State Government may, instead of making such appointment, direct that all or any of the powers and duties hereinafter conferred and imposed upon the Inspector-General shall be exercised and performed by such officer or officers, and within such local limits, as the State Government appoints in this behalf.*
>
> *(2) Any Inspector-General may hold simultaneously any other office under the Government."*

From a bare reading of section 3, it is apparent that every state has to appoint an officer to be the Inspector-General of Registration. Only when no such officer is appointed by the State Government, then the powers and duties of the Inspector-General of Registration shall be conferred and imposed upon such officers as the State Government appoints.

4. That the State Government through its General Administration Department bearing memo no. 11845 dated 13.12.2020 has appointed Sri B. Kartike Dhanjee, IAS (2008) as the Inspector-General of Registration, Bihar and till today he is officiating as an Inspector-General of Registration, Bihar. Therefore, in terms of Rules 2018, the power has been

Scanned with OKEN Scanner

conferred upon the Inspector-General of Registration, to the exclusion of any other officer, in relation to cancellation of registration. Accordingly, any order passed by any subordinate authority who is not empowered in terms of the Rules, 2018 read with the Registration Act, 1908 is void *ab initio* and without jurisdiction.

True copy of the memo no. 11845 dated 13.12.2020 is annexed herewith and marked as Annexure-17, which forms part of this supplementary affidavit.

5. That it is stated that the petitioner association in its meeting dated 07.12.2022 had resolved to stand with the District Unit of BASA, Madhubani on the basis of the proceedings of the special meeting of the District Unit on 05.12.2022. In the said meeting, it was decided to bring an issue to the notice of the Central Unit BASA which would in turn bring the same to the notice of Chief Secretary, Bihar and Principal Secretary, General Administration Department, Bihar. The issue discussed was that on 30.11.2022, on the instruction of District Magistrate, Madhubani, the SDO Madhubani Sadar conducted a raid against black marketing of fertilizer and seeds. During the raid, it came to the knowledge of the SDO, that Sri Ranjeet Kumar, Sri Sanjeet Kumar and Sri Pappu Paswan have illegally stored 10,000 bags of fertilizer and seeds, and previously in the year 2021 a raid was made

Scanned with OKEN Scanner

against three godowns, which was consequently sealed. Due to non-action of the District Agriculture Officer the middlemen are benefited. After the raid, on 30.11.2022, the SDO, Madhubani requested for appropriate action in accordance with law, which perturbed the District Agriculture Officer and a manufactured story of misbehaviour by the SDO, Madhubani was propagated. Thereafter, without any cause, the employees of Agriculture Department, Bihar went on a 7-day strike on the call of their respective association. Consequently, an enquiry was initiated against Sri Ashok Kumar Sinha by the District Magistrate, Madhubani, pursuant to which a detailed report was submitted on 06.12.2022, which was forwarded to the Agriculture Secretary through letter no. 4190 dated 06.12.2022 in agreement with the finding of the report by the District Magistrate, Madhubani. In this the SDO Madhubani was exonerated from the charges of causing misbehaviour with the District Agriculture Officer, Madhubani. This was the cause for which the petitioner association had decided to make a representation before the government. The minutes of the meeting dated 05.12.2022 was an enclosure to the resolution dated 07.12.2022.

True copies of the minutes of the meeting dated 05.12.2022 and letter no. 4190 dated 06.12.2022 are annexed herewith and marked as

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-18 & 18A, which form part of this supplementary affidavit.

6. That I have gone through contents of the present supplementary counter affidavit and have understood the same. I state that the statement mentioned in paragraph no. 1 to 3 & 6 to 11 are true to my knowledge and belief whereas statements made in paragraph no. 4 & 5 are true to my information derived from the records of the case and rest are by way of submission before this Hon'ble Court.

7. That the annexures true /photocopies of their respective originals.

Sunil Kumar Tiwary.

Scanned with OKEN Scanner

6

Indian Union Driving Licence
Issued by Government of Bihar

BR01 20030087043

Issue Date	Validity(NT)	Validity(TR) *
04-02-2023	03-02-2033	

Name: SUNIL KR. TIWARY
Date of Birth 08-02-1973 Blood Group AB+ Organ Donor: N
Son of SRI PRITHVI RAJ TIWARY
Address: B 403 NANDAN VATIKA SURSUDHA LANE OFF BORING CANAL ROAD PANCHMUKHI MAHAVIR MANDIR PATNA G P O PATNA BR 800001

Date of First Issue : 03-03-2003

DL No : BR01 20030087043

Invalid Carriages (Regn. Numbers) *

Hazardous Validity * Hill Validity *

Class of Vehicle	Code	Issued by	Date of Issue	Vehicle Category	Badge* Number	Badge* Issued Date	Badge* Issued by
	MCWG	BR01	03-03-2003	NT	-	-	-
	LMV	BR01	03-03-2003	NT	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Form 7 Rule 16(2)

Emergency Contact Number

Licensing Authority
DTO - BR-01

Sunil Kumar Tiwary

Annexure 17

(7)

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

<u>अधिसूचना</u>

पटना–15, दिनांक: 13 दिसम्बर, 2020

संख्या–1/पी–1001/2020(खण्ड)–सा0प्र0 11838/श्री के0 सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0 (1996), (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक प्रमण्डलीय आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. उपर्युक्त पदस्थापन के आलोक में श्रीमती संफीना ए0एन0, भा0प्र0से0(97)–(प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया), प्रमण्डलीय आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जायेंगी।

संख्या–1/पी–1001/2020(खण्ड)–सा0प्र0–11839/श्री बालामुरुगन डी0,भा0प्र0से0 (2005), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन परियोजना/राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन–सह–आयुक्त स्व–रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री बालामुरुगन डी0, अगले आदेश तक विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना और विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या–1/पी–1001/2020(खण्ड)–सा0प्र0–11840./श्री गोपाल मीणा,भा0प्र0से0(2007), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या–1/पी–1001/2020(खण्ड)–सा0प्र0–11841/श्री संजय कुमार सिंह,भा0प्र0से0(2007), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिंह अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या–1/पी–1001/2020(खण्ड)–सा0प्र0–11842/श्री विनोद सिंह गुंजियाल ,भा0प्र0से0 (2007), उत्पाद आयुक्त–सह–निबंधन महानिरीक्षक,बिहार,पटना(अतिरिक्त प्रभार–प्रबंध निदेशक, बिवरेज कॉरपोरेशन, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, पशुपालन के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या–1/पी–1001/2020(खण्ड)–सा0प्र0 11843/श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0प्र0से0 (2007), (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक विशेष सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

(8)

संख्या–1/पी–1001/2020(खण्ड)–सा0प्र0–11844/श्री बी0 कार्तिकेय धनजी,भा0प्र0से0 (2008), निदेशक, पशुपालन को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उत्पाद आयुक्त–सह–निबंधन महानिरीक्षक,बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री धनजी अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बियरेज कॉरपोरेशन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या–1/पी–1001/2020(खण्ड)–सा0प्र0–11845/सुश्री रंजिता, भा0प्र0से0 (2013), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. सुश्री रंजिता अगले आदेश तक निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण और अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
13.12.2020

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक: 1/पी–1001/2020(खण्ड)–11845/पटना–15,दिनांक: 13 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र मे प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई0टी0 मैनेजर,सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/वरीय प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/प्रधान महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग (कम्प्यूटर सेल)/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/वित्त(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग)विभाग, बिहार, पटना/भू–संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना। (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु) /सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. भा0प्र0से0(वेतन) नियमावली,2016 के नियम–12(1) के तहत श्री बालामुरुगन डी0, भा0प्र0से0 (2005) के आलोच्य पदस्थापन से संबंधित पद (परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन परियोजना/राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन–सह–आयुक्त स्व–रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना) तथा श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2007) के आलोच्य पदस्थापन से संबंधित पद (राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना)को उनके पदस्थापनकाल तक के लिए भा0प्र0से0 के विशेष सचिव के समकक्ष घोषित किया जाता है।

ह0/-
13.12.2020

सरकार के अवर सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

Annex– 18

(9)

श्री नरेश झा, बि0प्र0से0, अपर समाहर्त्ता–सह–अध्यक्ष, मधुबनी बासा इकाई की अध्यक्षता में दिनांक– 05.12.2022 को संध्या 07:30 बजे आयोजित विशेष बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम बासा मधुबनी इकाई के उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए :–

01. दिनांक–30.11.2022 को अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी सदर के द्वारा जिलाधिकारी, मधुबनी के आदेशानुसार अवैध रूप से भंडारित खाद/बीज की छापेमारी पर विमर्श किया गया। विर्मशोपरांत यह तथ्य सामने आया कि श्री रंजीत कुमार, श्री संजीत कुमार एवं श्री पप्पू पासवान द्वारा तीन गोदामों में अवैध रूप से लगभग 10,000 (दस हजार) बोरा खाद/बीज भंडारित हैं। यह भी तथ्य सामने आया कि उक्त गोदाम कृषि विभाग से रजिस्टर्ड नही है अर्थात् फर्जी हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी सदर द्वारा यह भी बताया गया कि गत वर्ष–2021 में भी उक्त तीनों गोदामों पर छापेमारी की गई थी, और अवैध रूप से भंडारित खाद को सील किया गया था। किन्तु कालांतर में वर्तमान जिला कृषि पदाधिकारी, श्री अशोक कुमार की मंशा ठीक नहीं रहने के कारण नियमानुकुल प्रभावी कार्रवाई नही करने के कारण बिचौलियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। इसी तरह दिनांक– 30.11.2022 को प्रश्नगत छापेमारी में लगभग 10,000 बोरों को जब्त किया गया। छापेमारी के बाद जिलाधिकारी, महोदय, के निदेशानुसार जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी को घटना स्थल पर आने और नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया। कुछ देर के बाद जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी घटना स्थल पर आए और कालाबाजारी की नियत से बहुतायत मात्रा में भंडारित खाद/बीज को देखकर विचलित हो गये। उनसे नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई का अनुरोध किया जाता रहा। वर्ष–2021 में इन्ही गोदामों में जप्त की गयी खाद एवं बीज पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करने के कारण बिचौलियों का मन बढ़ा और जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा पूर्व के गलती को स्वीकार किया गया। बड़ी मात्रा में बरामद खाद और गत वर्ष में इन्ही माफियों पर प्रभावी कार्रवाई नही करने के तथ्य से इन्हें लगा कि वे इस मामले में बुरी तरह से फँस जायेगें और अपना फरेब बचाने के लिए झूठा एवं मनगढ़त आरोप लगाया गया कि एस0डी0ओ0 ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। घटना स्थल पर अवैध रूप से भंडारित जप्त खाद–बीज पर अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु लगातार इनके द्वारा टाल–मटोल की नियत अपनाई जा रही थी। अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त

तथ्य से केन्द्रीय इकाई बासा, पटना को अवगत कराये जाने एवं शिष्ट मंडल के साथ उक्त तथ्य से मुख्य सचिव बिहार एवं प्रधान सचिव, GAD एवं कृषि विभाग को अवगत कराई जाय।

02. दिनांक–05.12.2022 को सोशल मीडिया पर माननीय मंत्री कृषि विभाग, बिहार सरकार के द्वारा बिना जाँच कराये जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी के साथ कथित तौर पर हुए दुर्व्यवहार को सत्य मानकर S.D.O. पर कार्रवाई करने की बात कही गयी है, जो उचित नहीं हैं। खाद–बीज की कालाबाजारी में संलिप्तता के आरोप एवं बदनामी के डर तथा बरामद अवैध खाद एवं बिचौलियों से संलिप्तता पर जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है बल्कि मूल मुद्दे को भटकाया जाने का प्रयास किया जा रहा हैं। अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त तथ्य से केन्द्रीय इकाई बासा, पटना को अवगत कराये जाने एवं शिष्ट मंडल के साथ उक्त तथ्य से मुख्य सचिव बिहार एवं प्रधान सचिव, GAD एवं कृषि विभाग को अवगत कराई जाय।

03. बैठक में यह भी तथ्य सामने आया कि उक्त प्रकरण की जाँच जिलाधिकारी, मधुबनी द्वारा उप विकास आयुक्त, मधुबनी को दिया गया है, जिससे जाँच प्रतिवेदन आना शेष हैं। बिना जाँच प्रतिवेदन के ही माननीय मंत्री द्वारा एक तरफा कार्रवाई करने के बयान से जिला बासा इकाई काफी क्षुब्ध है। अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त तथ्य से केन्द्रीय इकाई बासा, पटना को अवगत कराये जाने एवं शिष्ट मंडल के साथ उक्त तथ्य से मुख्य सचिव बिहार एवं प्रधान सचिव, GAD एवं कृषि विभाग को अवगत कराई जाय।

04. बैठक में यह भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस तरह से मामले को उजागर करने वाले पदाधिकारी पर एक तरफा कार्रवाई करने की बात के विरूद्ध क्षोभ प्रकट किया गया। आए दिन विभिन्न विभागों की अनियमितता के कारण लगातार विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो किस आत्मविश्वास और मोरल वेल्यू से उसे नियंत्रित/निदेशित किया जाय। अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त तथ्य से केन्द्रीय इकाई बासा, पटना को अवगत कराये जाने एवं शिष्ट मंडल के साथ उक्त तथ्य से मुख्य सचिव बिहार एवं प्रधान सचिव, GAD एवं कृषि विभाग को अवगत कराई जाय।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

05/12/2

अनुमंडल पदाधिकारी–सह–सचिव
बासा इकाई, मधुबनी।

अपर समाहर्त्ता–सह–अध्यक्ष,
बासा इकाई, मधुबनी।

समाहरणालय, मधुबनी (बिहार)
Collectorate, Madhubani
Phone:-06276-222217(Off.) /06276-222218(Res) ; 222209(Fax)
E-mail:-dm-madhubani.bih@nic.in
Web:-https: //madhubani.nic.in

Annexure 18A

(11)

(जिला गोपनीय शाखा)

पत्रांक 4190 /जि०गो०

प्रेषक,

अरविन्द कुमार वर्मा, भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

सेवा में,

डॉ० एन० सरवण कुमार,
सचिव, कृषि विभाग,
बिहार पटना ।

मधुबनी, दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 ई०।

विषयः- **श्री अश्वनी कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी एवं उप परियोजना निदेशक, आत्मा मधुबनी के साथ अभद्र व्यवहार करने के संबंध में।**

प्रसंगः- **भवदीय पत्रांक 220/स०को०, दिनांक 02–12–2022 एवं जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी का पत्रांक 3062/कृषि दिनांक 30–11–2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सादर सूचित करना है जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 3062/कृषि, दिनांक 30–11–2022, जिसकी प्रति भवदीय के प्रासंगिक पत्र द्वारा भी प्राप्त हुई है, से प्राप्त परिवाद की जॉच हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 4125/जि०गो०, दिनांक 30–11–2022 द्वारा उप विकास आयुक्त, मधुबनी को निदेशित किया गया । तदनुसार उप विकास आयुक्त, मधुबनी द्वारा स्थल निरीक्षण कर, उभय पक्षों की सुनवाई कर, साक्षियों का ब्यान दर्ज करते हुए अपने पत्रांक 223/गो०, दिनांक 06–12–2022 द्वारा साक्ष्य सहित विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । उप विकास आयुक्त, मधुबनी के जॉच प्रतिवेदन से मैं सहमत हूँ ।

उप विकास आयुक्त, मधुबनी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन अनुलग्नकों सहित इसके साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है ।

अनु०—यथावर्णित— कुल 11 पन्ना एवं एक सी०डी०

विश्वासभाजन,
(ह०) 06/12/22
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

(ह०) 6/12/2022 O/C

ज्ञाप संख्या 4190 /जि०गो०, दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 ई० ।

प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को अनुलग्नकों सहित सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि मुख्य सचिव महोदय, बिहार को अनुलग्नकों सहित सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

(ह०) 6/12/2022 O/C

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

Scanned with OKEN Scanner

5110

(12)

उप विकास आयुक्त का कार्यालय, मधुबनी

06276-222364 (off.)
Mobile : 9431818366
E-mail: ddc-madhubani-bih@nic.in
Web:- https://madhubani.nic.in

पत्रांक : 223 /गो0

प्रेषक,

विशाल राज, भा.प्र.से.
उप विकास आयुक्त,
मधुबनी।

सेवा में,

श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा.प्र.से.
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

मधुबनी, दिनांक : 06/12/2022

विषय : श्री अश्वनी कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी एवं उप परियोजना निदेशक, आत्मा, मधुबनी के साथ अभद्र व्यवहार करने के संबंध में जॉच प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंग: भवदीय पत्रांक : 4125/जि.गो., मधुबनी, दिनांक : 30/11/2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि श्री अश्वनी कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी एवं उप परियोजना निदेशक, आत्मा, मधुबनी के साथ अभद्र व्यवहार करने के संबंधी मामले की विस्तृत जॉच भवदीय निदेशानुसार की गई है। जॉच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : यथावर्णित।

विश्वासभाजन,
6/12/22
उप. विकास आयुक्त,
मधुबनी।

Scanned with OKEN Scanner

13

उप विकास आयुक्त का कार्यालय,मधुबनी

06276-222364 (off.)
Mobile : 9431818366
E-mail:-ddc-madhubani-bih@nic.in
Web:- https://madhubani.nic.in

जिला पदाधिकारी, मधुबनी का पत्रांक : 4125/जि.गो., मधुबनी, दिनांक :30/11/2022 के आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी का पत्रांक : 3062/कृषि, मधुबनी, दिनांक : 30/11/2022 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की जाँच -

जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप :

'दिनांक : 30/11/2022 को श्री अश्वनी कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी के द्वारा सप्ता पंचायत में के.एस.एस.एस.लि. लहेरियागंज, मधुबनी के प्रतिष्ठान पर औचक छापेमारी की गई। छापामारी के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को उक्त प्रतिष्ठान पर उपस्थित होने को कहा गया। जिसके बाद मैं और उप परियोजना निदेशक, आत्मा, मधुबनी प्रतिष्ठान पर उपस्थित हुआ तो उनके द्वारा मुझे कहा गया कि आप इस गोदाम को सील किजिए, जिस पर मेरे द्वारा कहा गया कि पहले मुझे जॉच करने दीजिए इसके बाद कार्रवाई करेंगे। पुनः उनके द्वारा प्रशासनिक धौंस देते हुए मुझे कहा गया कि आप गोदाम को सील कीजिए, पुनः मेरे द्वारा कहा गया कि मुझे जॉच करने दीजिए इसके बाद कार्रवाई करेंगे, इसी पर मुझे एवं उप परियोजना निदेशक, आत्मा, मधुबनी को श्री अश्वनी कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी,सदर मधुबनी द्वारा दो तमाचा मारा गया तथा अभद्र व्यवहार किया गया। मेरे साथ उपरोक्त अभद्र व्यवहार करने के पूर्व प्रतिष्ठान पर उपस्थित व्यक्तियों पर लाटी चार्ज कराया गया, जिसमें प्रतिष्ठान पर उपस्थित जॉच कार्य में सहयोग करने वाले सभी कृषि कर्मियों को भी मारा गया एवं अभद्र व्यवहार किया गया।'

उक्त आरोपों की सत्यता की जॉच हेतु पहले दोनों पक्षों को बुलाया गया और उनका वक्तव्य सुना गया। दोनों ही पक्षों को अपने बयान के साथ कोई भी साक्ष्य (मौखिक, कागजी या डिजिटल) प्रस्तुत करने का मौका दिया गया और दोनों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को संधारित किया गया। इसके बाद घटना स्थल का निरीक्षण किया। पूरी जॉच प्रक्रिया एवं प्रकाश में आये तथ्यों की विस्तृत विवरणी निम्नरूपेण है :-

जिल कृषि पदाधिकारी, मधुबनी एवं उप परियोजना निदेशक, आत्मा, मधुबनी द्वारा बताया गया कि 11.00 बजे पूर्वाह्न में अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी का फोन आया कि सप्ता पंचायत में के.एस.एस.एस.लि. लहेरियागंज, मधुबनी के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की गई है। आप यहाँ आएं। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 12.15 बजे वे और उप परियोजना निदेशक, आत्मा, मधुबनी स्थल पर पहुँचे। एस.डी.ओ. के स्टाफ प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई कर रहे थे। हमारे पहुँचने पर एस.डी.ओ. के द्वारा मुझे सील करने को कहा गया। हमलोगों ने कहा कि पहले जॉच कर लेते हैं फिर सील करेंगे। एस.डी.ओ. के द्वारा फिर कहा गया कि सील करो, हमलोगों ने दुबारा कहा कि पहले जॉच कर लेते हैं तब सील करेंगे। इस पर एस.डी.ओ. बांये हाथ से मेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ चला दिये जिसमें मेरा चश्मा भी टूटा गया (टूटा चश्मा दिखाया गया), नाक पर भी थोड़ी चोट लगी। एस.डी.ओ. के द्वारा कहा गया कि सील करोगे कि नहीं और दूसरा थप्पड़ दूसरे गाल पर मारा गया। दोनों थप्पड़ के बीच लगभग 15-20 सेकेण्ड का अन्तर था।

नोंक झोंक की घटना के बाद 12.20 बजे जिला पदाधिकारी महोदय को फोन लगाया किन्तु बात नहीं हुई। प्रयास करता रहा। 12.28 में जिला पदाधिकारी महोदय से बात हुई। घटना के विषय पर जानकारी दी और कहा कि ऐसी स्थिति में काम नहीं किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी द्वारा कहा

गया कि आप अभी यहां नहीं रहना चाहते हैं तो यहां से हट जाएं। किन्तु मैं अपना कर्तव्य समझ कर वहीं रहा। फिर शटर उठवा कर जाँच कराया गया और गालियाँ भी दी गई। थप्पड़ के बाद भी काफी बुरा व्यवहार किया गया। निर्लज बताया गया। बोरा भी ठीक से नहीं गिन सकते हो ऐसा एस.डी.ओ. के द्वारा कहा गया। मेरा मोवाइल एस.डी.ओ. के बॉडीगार्ड द्वारा छीन लिया गया। कृषि विभाग के कर्मियों को निकाल दिया गया। लाठी चार्ज किया गया जिसमें हमारे कर्मियों को चोट लगी है। बोरा गिनती करने के लिए रघुनी देहट, मंगरौनी उत्तर के किसान सलाहकार एवं रहिका के प्रखंड समन्वयक को मेरे द्वारा बुलाया गया। छापेमारी से पहले एस.डी.ओ. के साथ कृषि विभाग की टीम थी जो छापेमारी करने एवं सील करने में सक्षम है, फिर भी मुझे बुलाया गया। इन घटनाओं की पुष्टि कैमरा के रिकॉर्डिंग से होगी जो एस.डी.ओ. अपने साथ ले गये हैं।

जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा साक्ष्य के तौर पर फोटोग्राफ्स जमा किये गये हैं जो <u>परिशिष्ट-2</u> में संलग्न है, जिसमें दिख रहा है कि इनका चश्मा टूटा हुआ है।

श्री अश्वनी कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी का **बयान** – घटना के दस दिन पूर्व डी.एम. सर से बात हुई थी जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा रंजीत और संजीत के खाद के दुकान पर छापेमारी करने का निदेश दिया गया था। फिर मेरे द्वारा उसकी रेकी करवाई गई जिसमें खाद की कालाबाजारी का पता चला। घटना के दिन बुधवारी जाँच थी। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि आज ही छापेमारी का कार्य कर लें। तदालोक में रहिका, पण्डौल और राजनगर के प्रखंड कृषि पदाधिकारी और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को बुलाकर मैं छापेमारी के लिए निकल गया। महिला कॉलेज रोड में तीन दुकानों पर छापा मारा गया और तीनों दुकानों पर तीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी को बाकी प्रक्रिया पूरी करने के लिए छोड़ दिया गया। इतने में कुछ मीडिया वाले भी साथ आ गये। इसके बाद पेट्रोल पम्प के पास गोदाम पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के साथ छापेमारी की गई। वहाँ आगे की कार्रवाई हेतु अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को छोड़ दिया गया। तदुपरांत सप्ता पंचायत में के.एस.एस.एस.लि. लहेरियागंज, मधुबनी के प्रतिष्ठान पर छापा मारा। ट्रक से खाद अनलोड रहा रहा था। मुंशी पप्पू पासवान था जो भाग गया। वहाँ पर दो-तीन दुकाने हैं। चुंकि अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं अन्य तीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी के छापेमारी के क्रम में दूसरे स्थलों पर छोड़ चुके थे, अतः के.एस.एस.एस.लि. लहेरियागंज, मधुबनी के दुकान सील करने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर जिला कृषि पदाधिकारी को फोन करके बुलाया।

एस.डी.ओ. द्वारा आगे बताया गया कि डी.ए.ओ. को फोन किया तो उन्होंने बताया कि वो जयनगर के लिए निकल रहे हैं। मेरे द्वारा फिर उन्हें कहा गया कि पिछले साल जिन दुकानों पर छापेमारी की गई थी, उन्हीं पर छापेमारी की गई है। अवैध खाद मिला है। राजनगर थाना प्रभारी हमारे साथ ही थे। घटना स्थल पर पूरे समय मिडिया के लोग भी उपस्थित थे। जिला कृषि पदाधिकारी लगभग 12.15 बजे आये और हमलोगों की बातचीत हुई। मैंने कहा कि सील करवा लें। उप परियोजना निदेशक, आत्मा बोले कि गिनवा लेते हैं सर। तब सील करेंगे। मैंने कहा ठीक है गिनवा लें। बातचीत हो रही थी तो मैंने उन्हें कहा कि इसका लाइसेंस मंगवा लें। 12.18 में डी.एम. सर को कॉल किया। बात नहीं हुई। 12.20 से 12.28 बजे तक डी.एम. सर से बात हुई। डी.ए.ओ. के गिनती की बात बताई। फिर मैंने कहा कि सर बुधवारी जाँच है, मुझे बुधवारी जाँच में जाने दें। डी.एम. सर के द्वारा निदेशित किया गया कि आप खुद वहीं रहकर कार्रवाई पूरी कर लें। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इन्हीं गोदामों पर पिछली बार छापेमारी की गई थी। 1000 बोरा मिला था लेकिन बिना कार्रवाई के इन्हें छोड़ दिया गया था। कृषि विभाग के पदाधिकारियों को लग रहा था कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में क्यों कार्रवाई कर रहे हैं। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि इनके ऑथोरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। जबकि जिला पदाधिकारी की अनुमति एवं

Scanned with OKEN Scanner

निदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी के पास छापेमारी करने का पर्याप्त अधिकार था। फिर भी मैंने जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध किया कि किसी वरीय पदाधिकारी को यहां भेजा जाय। 12.41 बजे डी.एम. सर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि वरीय पदाधिकारी - जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर मधुबनी को वहां पहुँचने हेतु निदेशित कर दिया गया है। 1.25 बजे जिला लोक शिकायत पदाधिकारी एवं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर मधुबनी वहां आये। डी.ए.ओ. से कहा कि जल्दी से बोरा गिनवा लें। और कर्मियों को बुला लें। कई वार जिला कृषि पदाधिकारी से लाईसेंस मंगवाया गया काफी समय बाद जब लाईसेंस एवाट्स एप पर प्राप्त हुआ तो देखा गया कि वो रहिका के किसी पचायत का था जबकि गोदाम राजनगर प्रखंड में चल रहा था। पिछली वार के छापेमारी में कार्रवाई के दौरान गोदाम कैसे वैध था जबकि यह विल्कुल अवैध है। पिछली वार मिलीभगत से छोड़ दिया गया प्रतीत हो रहा था। ऑन रिकार्ड गलती हुई है। पिछली वार की जॉच में कुछ नहीं हुआ और अव गलती पकड़ी गई है तो लग रहा था कि अव डी.ए.ओ. की वर्खास्तगी होगी। 10-15 मिनट के अन्तराल पर उपस्थित मीडियावालों से भी वात हो रही थी। डी.ए.ओ. 5-10 मिनट पर कॉल कर रहे थे। फोटो भी छपा है। पुलिस से कॉल डिटेल प्राप्त की जा सकती है। व्यक्तिगत तौर पर डी.ए.ओ. से हमारे अच्छे संवंध हैं। सुवह से शाम तक आपस में कोई दुर्व्यहार नहीं हुआ था।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आगे वताया गया कि रात 11 वजे उन्हें पता चला कि जिस माफिया रंजीत-संजीत के गोदाम पर छापेमारी की गई है, वो रात में सील तुड़वाकर सारा माल ढुलवा लेगा। माफिया डी.ए.ओ. कार्यालय की तरफ ही था इसका पता कॉल डिटेल से चलेगा। जिस माफिया को ये लोग वचा रहे हैं उन्हींलोगों ने पूर्व में इनके कर्मी के विरूद्ध एस.सी. एक्ट में झूठा मुकदमा दायर किया था और पदाधिकारियों को धमकाया भी था। डी.ए.ओ. के द्वारा लगाया गया अभद्र व्यवहार का अरोप विल्कुल निराधार है। ये एक जिला स्तरीय पदाधिकारी है, उम्र में मुझ से काफी वड़े हैं। मेरी उम्र 33 वर्ष है और ये 55 के आसपास के है। मैने हमेशा शिष्टाचार का व्यवहार किया गया है। डी.ए.ओ. आदरणीय है सम्मानीय है। सिर्फ अपने बचाव के लिए मेरे उपर आरोप लगा रहे हैं। दुकानों को वंद करवा रहे है। किसान उद्वेलित हो रहे हैं जिससे मेरे अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी पर लगाये गये प्रत्यारोप पर मंतव्य

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने बयान में उल्लेख किया गया है कि 'पूर्व में की गई छापेमारी के उपरांत विना कोई कार्रवाई किये जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा गोदाम को खोल दिया गया जिस कारण जिला कृषि पदाधिकारी की खाद माफिया के साथ संलिप्तता उजागर हो गई है। इस विन्दु की कार्यालय में उपलव्ध साक्ष्यों से तुरंत प्रमाणित किया जा सकता है। अतः अपने आपको बचाने के लिए एवं मूल मुद्दे से सभी का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के आरोप उनके उपर लगा रहे है।' अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इस पर जिला कृषि पदाधिकारी से उनका पक्ष जानकर और कार्यालय में उपलव्ध साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत जॉच करने की आवश्यकता है। चुंकि जिला कृषि पदाधिकारी की खाद गोदामों में अनियमितता में संलिप्तता इस जॉच की कार्रवाई की परिधि में नहीं आता है, अतः उक्त विन्दु पर अलग से प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधुबनी एवं अनुमंडल लोक शिकाय निवारण पदाधिकारी का बयान :

12.30 वजे के आसपास जिला पदाधिकारी द्वारा फोन कर छापेमारी संवंधी जानकारी देते हुए निदेशित किया गया कि आप वहॉं जाये। अनुमंडल पदाधिकारी से बात कर लें। लगभग 1.15 वजे हम दोनों पदाधिकारी स्थल पर पहुँचे तो देखा गया कि जिला कृषि पदाधिकारी बैठे हैं और गिनती का कार्य चल रहा है। माहौल विल्कुल सामान्य दिखा। तनाव का माहौल कहीं नजर नहीं आया। जिला कृषि

पदाधिकारी ने कोई शिकायत भी नहीं की और न ही कुछ बताया। मीडिया के लोग भी उपस्थित थे उनलोगों ने भी हमे कुछ नहीं बताया। बल्कि डी.ए.ओ. के आरोप के संबंध में हमें किसी ने दूसरे दिन बताया। गोदाम पर जिला कृषि पदाधिकारी कार्य में सहयोग कर रहे थे। पिछली बार छापेमारी के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी से पूछने पर बताया गया कि मामला चल रहा है। हमने अनुमंडल पदाधिकारी से गोदाम का लाइसेंस देखने के लिए कहा। लाइसेंस बाद का नहीं था। लाइसेंस रहिका के किसी पंचायत का था।

श्री अनिल मिश्रा, पूर्व मुखिया, ग्राम पंचायत रघुनी देवट का बयान :

श्री अनिल मिश्रा के द्वारा बताया गया कि 11 से 11.30 के बीच मधुवनी से लौट रहे थे। रंजीत ट्रेडर्स के पास पहुँचे तो भीड़ थी। हम रूक गये। अनुमंडल पदाधिकारी की गाड़ी लगी थी उनसे पूछा कि सर आज बुधवारी जाँच है, कहाँ जा रहे हैं। इसी क्रम में मैं भी एस.डी.ओ. सर के साथ भीतर गया। 12 से 12.15 के आसपास जिला कृषि पदाधिकारी आये, बैठे और उनके निदेश के बाद गिनती शुरू करवाया गया। जिला कृषि पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी सामान्य तरीके से आपस में बात कर रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी आये। थाना प्रभारी, राजनगर भी थे। श्री मिश्रा ने बताया कि उनके सामने कोई बात नहीं हुई। लगभग 2 सवा 2 बजे तक वहाँ रहे। 4-5 मिडिया कर्मी थे। यह पूछने पर कि कोई विडियो भी बना रहा था, तो बताया कि कुछ होता तभी तो विडियो बनाता। स्थिति बिल्कुल सामन्य थी। सब कुछ सामान्य था।

श्री अमित पासवान, उम्र 21 वर्ष, बेल्हवार का बयान :

श्री पासवान ने बताया गया कि श्री अनिल मिश्रा हमारे परिवार से पूर्व परिचित हैं। मधुवनी से जा रहे थे तो मैं भी गाड़ी पर साथ हो गया था। गोदाम के पास भीड़ देखा तो हमलोग रूक गये। एस.डी.ओ. सर से श्री मिश्रा जी बात किये। जिला कृषि पदाधिकारी के आने पर क्या हुआ था के प्रश्न पर बताया गया कि सभी सर बात कर रहे थे। श्री पासवान ने बताया कि दोनों पदाधिकारी को झगड़ते या मारपीट करते नहीं देखा। जिला कृषि पदाधिकारी चश्मा पहने हुए थे। हमे तो पूरी स्थिति ठीक दिख रही थी।

श्री बिन्दु सदाय, ग्राम बेल्हवार का बयान :

श्री सदाय द्वारा कहा गया कि वे 11 से 11.30 के करीब अपने घर से मधुवनी में जिस दूकान में काम करते हैं, वहाँ जा रहे थे। गोदाम पर भीड़ और मुखिया जी को देखकर रूक गये। शांति वातारण था। सब लोग बात कर रहे थे। 12 से 12.15 के बीच जिला कृषि पदाधिकारी आये। साहब लोगों के बीच क्या बातचीत हुई, हम नहीं सुने लेकिन सामान्य स्थिति दिख रही थी। किसी को हाथ चलाते नहीं देखा। आपस में तमशा-तमशी भी नहीं हुई। करीब 2 से 2.30 बजे तक वहाँ रहे। सब ठीक ठाक था।

श्री मोहन चौधरी, कृषि समन्वयक, रहिका का बयान :

श्री चौधरी द्वारा बताया गया कि उन्हें 1 बजे के करीब सुरेन्द्र चौधरी ने फोन किया कि जिला कृषि पदाधिकारी गोदाम पर बुला रहे हैं, आप आ जाइए। पहुँचने पर श्री सुरेन्द्र जी ने कहा कि अभी भीतर मत जाइए, डी.ए.ओ. सर के साथ मारपीट हुई है। फिर कुछ देर बाद मुझे बुलाकर भीतर ले गये। डिप्टी पी.डी., आतमा के द्वारा कहा गया कि गिनती करो। बाद में देखे कि डी.ए.ओ. सर नाक के पास बार-बार हाथ दे रहे थे। श्री चौधरी ने यह भी बताया कि वहाँ तनाव जैसा लग रहा था। हमने अपने सामने कुछ होते नहीं देखा। वहाँ कोई चर्चा नहीं हो रही थी।

श्री विरंची कुमार राम, किसान सलाहकार, राजनगर का बयान :

श्री राम द्वारा कहा गया कि श्री संतोष जी, प्रखंड समन्वयक द्वारा फोन कर कहा गया, कि संजीत ट्रेडर्स पहुँचिए। 2 बजे के करीब पहुँचे तो डिप्टी पी.डी. बोले कि गिनती करने में सहयोग कीजिए। हमलोग

वहां काम किए। जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस वहां मौजूद थे। अन्य पदाधिकारी को हम नहीं पहचानते हैं। गोदाम पर सब कुछ शांत था। कुछ पता भी नहीं चला। बाद में श्री संतोष जी बताए कि मारपीट की घटना हो गयी है। मेरे सामने कोई घटना नहीं घटी। पदाधिकारी लोग साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। तनाव कोई नहीं था।

श्री रामशरण साह, किसान सलाहकार, मंगरौनी

श्री साह ने बताया कि 2 बजे के करीब वहां पहुँचे। अनुमंडल पदाधिकारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, राजनगर बैठ थे। कृषि विभाग के कर्मी गिनती कर रहे थे। बताया कि लगभग 4.30 तक वहाँ रहे। किसी बात की जानकारी नहीं हुई और न मेरे सामने कुछ हुआ।

श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी, प्रखंड समन्वयक, रहिका का बयान :

श्री चौधरी ने बताया कि जिला कृषि पदाधिकारी के फोन करने पर 1.10 के आसपास वहाँ पहुँचे थे। गिनती की जा रही थी। डी.ए.ओ. सर चश्मा पहने हुए थे। दाएं तरफ का चश्मा का फ्रेम टूटा हुआ था। ऑख से पानी निकल रहा था। अगल-बगल में लोग बोल रहे थे कि डी.ए.ओ. को मार लगी है। जिला कृषि पदाधिकारी और डिप्टी पी.डी. सर एक साथ थे और अनुमंडल पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी एक साथ बैठे थे। वातावरण शांत था। मेरे सामने कोई घटना नहीं घटी थी।

श्री अजय कुमार साह, किसान सलाहकार, इजरा का बयान :

श्री साह ने बताया कि वे लगभग 2.30 बजे वहाँ पहुँचे। हम बाहर ही रह गये। फिर सुरेन्द्र जी बुलवाए और जप्ती-सूची पर दस्तखत करने के लिए बोले। जिला कृषि पदाधिकारी से कोई बात नहीं हुई। डी.ए.ओ. सर चश्मा पहने हुए थे। फ्रेम टूटा था या नहीं, इस पर ध्यान नहीं गया। डी.ए.ओ. सर मायूस थे। माहौल शांत था। मेरे सामने कुछ नहीं हुआ लेकिन कृषि विभाग के लोग आपस में डी.ए.ओ. को मारने के संबंध में चर्चा कर रहे थे।

श्री प्रमोद कुमार, किसान सलाहकार, मंगरौनी उत्तरी

श्री कुमार ने बताया कि कृषि समन्वयक द्वारा फोन किया गया कि गिनती करना है, इसलिए यहाँ आ जाइए। 1.15 के लगभग वहाँ पहुँचे। गोदाम में गिनती चल रहा था। डी.ए.ओ. सर वहीं थे। उनका चश्मा उनके हाथ में थे। पहने हुए नहीं थे। मुझे भी गिनती में लगा दिया गया। 4.00 बजे के करीब में वापस हुआ। मेरे सामने कुछ नहीं हुआ। बाहर चर्चा हो रही थी कि डी.ए.ओ. को मार लगी है।

श्री रामविलास पासवान, जिला कृषि पदाधिकारी के चालक का बयान :

श्री पासवान द्वारा बताया गया कि वे जिला कृषि पदाधिकारी के साथ में थे। जिला कृषि पदाधिकारी और डिप्टी पी.डी. के साथ 11 बजे के करीब वहाँ पहुँचे थे। एस.डी.ओ. सर भीतर थे। एस.डी.ओ. सर के ड्राइवर के साथ हमलोग गाड़ी लेकर बाहर ही रहे। होटल के बरामदा पर थे। कुछ देर बाद अन्दर से दो-तीन लोग भाग कर बाहर आये और बोला कि एस.डी.ओ. साहब ने डी.ए.ओ. को मारा है। मेरे सामने नहीं हुआ। केवल सुने। 1.30 बजे के करीब डी.ए.ओ. बाहर आये और बोले रामविलास थोड़ा पानी पिलाओ। पानी पिलाया। वे गाड़ी में बैठे। देखे तो साहब चश्मा पहने थे लेकिन एक बगल टूटा था। वे थर-थर कांप रहे थे। नाक के पास खरोच लगा था। साहब ने मुझे कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद फिर अन्दर चले गये। मेरे सामने कोई घटना नहीं हुई थी।

श्री कार्तिक कुमार, पत्रकार, प्रभात खबर का बयान :

श्री कुमार के द्वारा बताया गया कि वे 1.40 के करीब वहां पहुँचे। गोदाम पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी उपस्थित थे। कृषि कर्मी गिनती कर रहे थे। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एस.डी.ओ. से लाइसेंस के विषय में बात कर रहे थे। जिला कृषि पदाधिकारी चश्मा पहने हुए थे। मोबाइल चलाते हुए दिख रहे थे। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी - श्री प्रवीण कुमार ने लाइसेंस का जो पता बताया वो रान्टा का था जबकि गोदाम राजनगर के मंगरौनी उत्तर पंचायत में है। 3.30 के करीब तक वहां रहे। माहौल सामान्य था। बंधक बनाने की कोई बात नहीं हुई।

श्री रामशरण साह, पत्रकार, हिन्दुस्तान का बयान :

श्री साह के द्वारा बताया कि वे 2 बजे वहाँ पहुँचे थे। देखा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, थानाध्यक्ष-राजनगर बैठे हैं। कृषि कर्मियों द्वारा गिनती की जा रही है। लगभग पौने पाँच तक वहाँ रहा। सब कुछ सामान्य दिखा। असामान्य जैसी कोई बात नहीं थी। जब तक रहे किसी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अगर कोई घटना का पता चलता तो तुरत उपस्थित पदाधिकारी से बाइट लेता।

स्थलीय निरीक्षण

श्री अरविन्द कुमार, थानाध्यक्ष, राजनगर के साथ घटनास्थल- रंजीत ट्रेडर्स का गोदाम जो किंग्स पैलेस होटल के भूमि तल पर अवस्थित है, का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में घटना स्थल पर राजनर थानाध्यक्ष से भी पूछताछ की गई एवं उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 12 से 12.30 के बीच जिला कृषि पदाधिकारी गोदाम पर आये तो उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी से कहा गया कि क्यों सील कर रहे हैं, सब कुछ वैध है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि सब कुछ अगर वैध है तो गोदाम पर बोर्ड क्यों नहीं है। इसके बाद आपस में कुछ तू-तू मैं-मैं हुआ। यह पूछे जाने पर कि क्या जिला कृषि पदाधिकारी चश्मा पहने हुए थे, बताया गया कि उन्होंने चश्मा पहन रखा था। फिर पूछा गया कि उनके चश्मा के एक साइड का फ्रेम कैसे टूटा, इस पर थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि इसके बारे में उन्हें कुछ ध्यान नहीं है किन्तु शुरू से अंत तक जिला कृषि पदाधिकारी चश्मा पहने हुए थे।

स्थलीय निरीक्षण में गोदाम परिसर में कई कैमरा लगा हुआ पाया गया जिसके रिकार्डिंग की खोज की गई तो थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि इन सभी कैमरों का रिकार्डिंग होटल किंग्स पैलेस के रिसेप्सन कॉउण्टर पर डिस्प्ले होता है। किंग्स पैलेस के रिसेप्सन कॉउण्टर पर पहुँचकर छानबीन की गई। घटना के दिन का रिकार्डिंग / डी.भी.आर. के संबंध में जानकारी मांगी की गई तो होटल के रिसेप्सन का स्टाफ - श्री दीपक मालाकार, पिता- श्री सुकुमार मालाकार जो असम का निवासी बताया गया, द्वारा घटना के दिन के रिकार्डिंग के संबंध में बताया गया कि नीचे गोदाम परिसर के उस दिन के रिकार्डिंग का डी.भी.आर. अनुमंडल पदाधिकारी के साथ वाले कोई पुलिस कर्मी ले गये। पुलिस कर्मी का नाम पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि वो नाम नहीं जानते हैं। फिर अपने फोन पर एक विडियो दिखा कर इनके द्वारा बताया गया कि यही पुलिस कर्मी था। उक्त विडियो में अनुमंडल पदाधिकारी अपने अंगरक्षकों के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और श्री दीपक के द्वारा इंगित पुलिस कर्मी की पहचान अनुमंडल पदाधिकारी के अंगरक्षक

श्री विकास कुमार दुबे के रूप में की गई। श्री दीपक मालाकार का बयान मोबाईल में रिकार्ड कर लिया गया है। परिशिष्ट-1 Audio File No. 9

उक्त आरोप के संवंध में अनुमंडल पदाधिकारी एवं उनके अंगरक्षक से पूछताछ की गई। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुवनी द्वारा वताया गया कि अंगरक्षक मेरी जानकारी के विना कुछ नहीं कर सकता है। उसके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। डी.भी.आर. ले जाने के संवंध में वताया गया कि उन्हें इस संवंध में कोई जानकारी नहीं है। रंजीत-रंजीत वहुत वड़ा माफिया है। सवूत मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। श्री विकास कुमार दुवे, अनुमंडल पदाधिकारी के अंगरक्षक से डी.भी.आर. लेने के संवंध में पूछे जाने पर वताया गया कि डी.भी.आर. के संवंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

जॉच के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों की विवरणी :-

परिशिष्ट -1

- Video File 1- जिला कृषि पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी इस यूट्यूव विडियों में साथ में मिडिया को वाईट देते हुए दिख रहे हैं।
- Video File 2- अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा गिनती के लिए टीम बुलवाने के लिए कहा जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी के साथ इनकी सामान्य वार्ता हो रही है।
- Video File 3- गिनती चल रही है, स्थिति सामान्य दिख रही है।
- Video File 4- जिला कृषि पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी साथ में मीडिया को बाईट देते हुए दिख रहे हैं।
- Video File 5- गिनती चल रही है, स्थिति सामान्य है।
- Video File 6- अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी एवं अन्य लोग साथ वैठे हैं, स्थिति सामान्य दिख रही है।
- Video File 7- सील करने के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के बीच बात हो रही है। स्थिति सामान्य दिख रही है।
- Video File 8- सील करने के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के वीच वात हो रही है। स्थिति सामान्य दिख रही है।
- Audio File 9- श्री दीपक कुमार मालाकार का वयान।

परिशिष्ट -2 - जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा समर्पित फोटो।

परिशिष्ट -3 - जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को ह्वाटस एप के माध्यम से भेजे गये लाईसेंस की प्रति।

<u>साक्ष्यों का विश्लेषण</u>

सभी साक्ष्यों (मौखिक एवं डिजिटल) के आधार पर जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा लगाये गये आरोपों पर विश्लेषण निम्न प्रकार है :-

1. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा आरोप लगाया है कि विना किसी ऑथोरिटी के और जरूरत के अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जिला स्तरीय पदाधिकारी को घटना स्थल पर बुलाया गया। इस पर अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उनके साथ संलग्न कृषि विभाग के अन्य कर्मी अन्य जगह छापेमारी कर गोदामों को सील करने हेतु लगे हुए थे और घटना स्थल पर कोई अनुमंडल स्तरीय या प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के नहीं होने के आलोक में जिला पदाधिकारी से उन्होंने जिला [illegible] चूंकि जिला पदाधिकारी महोदय की अनुमति

अनुमंडल पदाधिकारी को प्राप्त थी, अतः बिना आशोरटी के जिला कृषि पदाधिकारी को घटना स्थल पर बुलाने के आरोप को संपुष्ट नहीं किया जा सकता है।

2. उपलब्ध विडियो फूटेज 12.30 के बाद के हैं। साथ ही 1.00 बजे से अन्य कृषि कर्मी जो गिनती के लिए बुलाये गये थे, घटना स्थल पर आने लगे थे। 1.30 बजे के करीब अपर समाहर्ता (लोक शिकायत) एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी भी वहां आ चुके थे एवं आगे की प्रक्रिया के लिए सबसे वरीय पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्ता (लोक शिकायत) थे। इनके बयान एवं कृषि कर्मियों के बयान तथा विडियो फूटेज से स्पष्ट है कि 12.30 के बाद की स्थिति सामान्य थी। कृषि कर्मी जॉच में आवश्यक सहयोग कर रहे थे और अनुमंडल पदाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी के बीच में इसके बाद जोर जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं हुई थी।

3. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा लगाये गये आरोप कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, जो मूलतः 12.15 से 12.30 के बीच का है, इसमें जिला कृषि पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी के मोबाइल के कॉल हिस्ट्री देखने से स्पष्ट है कि 12.20 में अनुमंडल पदाधिकारी की जिला पदाधिकारी महोदय से बात हुई और 12.28 में जिला कृषि पदाधिकारी की जिला पदाधिकारी महोदय से बात हुई। 12.20 के बाद से चुंकि दोनों ही पदाधिकारी लगातार जिला पदाधिकारी महोदय से सम्पर्क में थे, अतः 12.20 के बाद से आपसी विवाद की घटना घटित होने की संभावना नहीं बनती है। तमाचा लगाने का आरोप 12.15 से 12.20 के अंतराल से संबंधित है। इस अंतराल के बीच के विडियो फूटेज उपलब्ध नहीं हैं। सी.सी.टी.वी. फूटेज उपलब्ध नहीं हो पाने से मौखिक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना होगा। मौखिक साक्ष्यों में से जिला कृषि पदाधिकारी एवं उप परियोजना निदेशक-आत्मा द्वारा लगाये गये आरोप को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पूर्णतः नकारा गया है। स्वतंत्र साक्षी के रूप में वहॉ मौजूद लोगों के बयान में आपसी विवाद एवं मारपीट की बात नहीं आ पाई है। राजनगर थाना प्रभारी ने अपने बयान में तनावपूर्ण बातचीत होने की बात स्वीकारी है किन्तु मारपीट और तमाचा लगाने की घटना को उन्होंने भी नकारा है। श्री दीपक मालाकार के द्वारा दिया गया बयान कि सी.सी.टी.वी. फूटेज को अनुमंडल पदाधिकारी के अंगरक्षक - श्री विकास कुमार दुबे द्वारा घटना के 1 घंटा बाद ले लिया गया था, गंभीर प्रकृति का है, परन्तु गलत मंशा से झूठा बयान देने के अनुमंडल पदाधिकारी के पक्ष को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है एवं इस पर पुलिस द्वारा स्वतंत्र तरीके से जॉच कराई जा सकती है।

6/1/23

(विशाल राज, भा.प्र.से.)
उप विकास आयुक्त,
मधुबनी।

Scanned with OKEN Scanner

10/2/23

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

I.A. No. 1 OF 2023

IN

C.W.J.C. No. 1899 OF 2023

The Bihar Administrative Service Association ......Petitioner

Versus

The State of Bihar & Ors. ......Respondents

SUBJECT:- INTERLOCUTORY APPLICATION

INDEX

SL.NO.	PARTICULARS		PAGE NOS.
1.	**Interlocutory application for addition of party with affidavit & I.D. Proof.**		1 – 8
2.	**Annexure-I/1 & I/1A-**	True copies of the three videos on CD along with transcript	9 – 10
3.	**Annexure-I/2**	True copy of the order dated 06.09.2005 in CWJC No. 6308 of 2000.	11 –
4.	**Annexure-I/3**	True copy of the press release dated 02.02.2023	12 – 13

Scanned with OKEN Scanner

10/2/23

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

I.A. No. 1 OF 2023

IN

C.W.J.C. No. 1899 OF 2023

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India

And

In the matter of

The Bihar Administrative Service Association ......Petitioner

Versus

The State of Bihar & Ors. ......Respondents

To,

The Hon'ble Mr. Justice Chakradhari Sharan Singh, the Acting Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his companion Justices of the said Hon'ble Court.

Scanned with OKEN Scanner

The humble interlocutory application on behalf of the petitioner above-named.

Most Respectfully Sheweth:-

1. That this is an application being filed for addition of parties in the present writ application in view of the assertions made in the writ application, with specific statements against Mr. K.K. Pathak who holds the dual charge of Director General, BIPARD and Additional Chief Secretary, the Prohibition Excise & Registration Department, Bihar. It has been pleaded that it is at the instance of Mr. K.K. Pathak that the proceedings have been orchestrated against the petitioner association, resulting in its cancellation vide order dated 28.01.2023. The interlocutory application is also being filed for issuance of notice to the newly added respondent, who is a necessary party.

2. That it is submitted that the action against the petitioner association has been motivated by *mala fides* at the behest of Mr. K.K. Pathak who felt unwarrantedly aggrieved by resolution dated 07.12.2022 passed by the Central Executive Committee of the petitioner association (Annexure-3, Page-60 of the writ petition), wherein the petitioner association had raised the issue of the harsh physical training conducted by BIPARD. Mr. K.K. Pathak being the Director General of BIPARD

Scanned with OKEN Scanner

wreaked havoc subsequent to the resolution by way of press release dated 09.12.2022 (Annexure-4, Pg.-61 of the writ petition) issued at his behest, and initiation of proceeding against the petitioner association by way of show cause notice dated 10.12.2022 through the Prohibition Excise & Registration Department (Annexure-6, Pg. 64 of the writ petition), of which Mr. K.K. Pathak is the Additional Chief Secretary. Therefore, evidently, Mr. K.K. Pathak abused and misused his official position, and all powers at his disposal by virtue of holding different offices, to harass and traumatize the petitioner association.

3. That it is submitted that the averment of the petitioner association against Mr. K.K. Pathak is also corroborated from his statements made subsequent to the resolution dated 07.12.2022. These statements have been recorded on three videos that circulated on social media recently, and these appear to have been recorded while he is presiding certain meetings in the official capacity of Additional Chief Secretary, Prohibition Excise & Registration Department, Bihar. In these videos, Mr. K.K. Pathak can be heard making abusive statements directed against the petitioner association, and also defaming the residents of the state of Bihar, of which transcript have been prepared. Against such statements, the petitioner association is trying to take legal

Scanned with OKEN Scanner

recourse by way of having an FIR registered, which has not been registered till date.

True copies of the three videos on CD along with transcript are annexed herewith and marked as Annexure-I/1 & I/1A, which form part of this interlocutory application.

4. That it is submitted that such action of Mr. K.K. Pathak of highhandedness and pursuing vengeance is not an isolated incident, and even in the past he has conducted himself with such impunity. Previously, Mr. K.K. Pathak had submitted his regrets before this Hon'ble Court for the language and the derogatory words used by him in the concerned file. In doing so, he had given an implied undertaking that he would not use abusive language in the future, which has been recorded in the order dated 06.09.2005 in CWJC No. 6308 of 2000 (Vikas Chandra @ Guddu Baba v. The Union of India & Ors.).

True copy of the order dated 06.09.2005 in CWJC No. 6308 of 2000 is annexed herewith and marked as Annexure-I/2, which

Scanned with OKEN Scanner

forms part of this interlocutory application.

5. That the fact that Mr. Pathak has adopted a two-pronged attack on the petitioner association through both BIPARD and Prohibition Excise & Registration Department, is evident from the press release of BIPARD dated 02.02.2023. Herein, BIPARD has in para-10 stated that the cancellation of the petitioner association has been in consonance with established procedure. The statement has been made in utter disregard of the fact that BIPARD should have had no occasion to comment on the cancellation of the petitioner association, and especially when there was a conflict since in the agenda dated 07.12.2022, the petitioner association had raised issues against the harsh training conducted by BIPARD. The only logical conclusion is that Mr. Pathak is using both the departments to meet his illegal ends.

True copy of the press release dated 02.02.2023 is annexed herewith and marked as Annexure-I/3, which forms part of this interlocutory application.

6. That it is therefore essential in the interest of justice that he may be added as a party respondent in the present writ application. The description of proposed private respondent no. 7 is as follows:-

Scanned with OKEN Scanner

"7. K.K. Pathak, aged about 56 Years (Male), son of Late Major G.S. Pathak, resident of A/3 - 21, Rajvanshi Nagar, P.S. Shashtrinagar, District-Patna."

7. That thus, in view of the abovementioned developments, it is necessary to implead K.K. Pathak as a necessary party in the present writ application.

8. That the petitioner has not moved any application for addition of parties on any other occasion in this writ application.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to allow the interlocutory application and may be pleased to implead K.K. Pathak as respondent no. 7 in the main writ petition and may further be pleased to issue notice to respondent no. 7 and may hear all the parties and/or may pass such other order or orders as your Lordships may deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

Scanned with OKEN Scanner

AFFIDAVIT

I, Sunil Kumar Tiwary, aged about 50 years (Male), son of Late Prithavi Raj, resident of B-403, Nandan Vatika, Sursudha Lane, East Boring Canal Road, P.S.-Buddha Colony, District-Patna-800001, do hereby solemnly affirm and state follows :-

1. That I am the General Secretary of the petitioner association in the present writ application and as such am fully acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That I have read the contents of the present interlocutory application and I have fully understood, and I state that the facts mentioned in paragraphs no. 1, 2, 6 &7 of the application are true to my knowledge and the facts mentioned in paragraphs 3, 4 & 5 is true to my information derived from the relevant records of the case rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.

3. That the annexures true / photocopies of their respective originals.

Sunil Kumar Tiwary

Scanned with OKEN Scanner

Indian Union Driving Licence
Issued by Government of Bihar

BR01 20030087043

Issue Date	Validity(NT)	Validity(TR) *
04-02-2023	03-02-2033	

Holder's Signature

Name: SUNIL KR TIWARY
Date of Birth 08-02-1973 Blood Group AB+
Son of SRI PRITHVI RAJ TIWARY
Organ Donor: N
Address: B 403 NANDAN VATIKA SURSUDHA LANE OFF BORING CANAL ROAD PANCHMUKHI MAHAVIR MANDIR PATNA G P O PATNA BR 800001

Date of First Issue : 03-03-2003

DL No : BR01 20030087043

Invalid Carriages (Regn. Numbers) *

Hazardous Validity * Hill Validity *

Class of Vehicle	Code	Issued by	Date of Issue	Vehicle Category	Badge * Number	Badge * Issued Date	Badge * Issued by
	MCWG	BR01	03-03-2003	NT	.		.
	LMV	BR01	03-03-2003	NT	.	.	.
					.	.	.
					.	.	.

Form 7 Rule 16(2)

Emergency Contact Number

Licensing Authority
DTO - BR-01

Sunil Kumar Tiwary

Annexure I/A

TYPE COPY

इ साला इन डिप्टी कलेक्टर की मां बहनें कर दो....... मुझसे गलती हो गई सर..... ना ना साले.....साला..... बिहार एडमिनिस्ट्रेशन...... साला 32 साल हो गए

दुसरा वीडियो

यहां का लोग आदमी ऐसा है । चेन्नई में आदमी साला बाएं से चलता है यहां देखें हो किसी को बाएं से चलते । लाल लाइट पर हॉर्न बजाते देखे हो चेन्नई में किसी को । यहां साला ट्रैफिक पर पें पें हॉर्न बजाएगा । देखे नहीं हो बेली रोड पर साला । साला यहां का आदमी आदमी है , डिप्टी कलेक्टर साले का यह हाल है । अब मैं इन सालों की मैं......अरे जरा दो चार लोग लिखकर दो तो कागज पर । साला डिप्टी कलेक्टर बहन३। इनकी ऐसी की तैसी करता हूं । कल जरा इसको भेजो मेरे को , मैं बासा का बैंड बजाता हूं और जरा इसका मेरे को भेजो और 13 तारीख को और डिस्कस करेंगे वेडनसडे को ।

तीसरा वीडियो

बस मां बहन की गाली सुनने के बाद अकल आती है..... मैं तुम्हारे मैडम को फोन लगाता हूं.... सब साले सर जो है.... वो देता हूं । कोऑपरेटिव बैंक साला बंद करे ।इनको हटाओ साले.... अप्रैल से हम खुद बाटेंगे.... हटाइए । बंदना प्रेयसी से बात कराइए सेक्रेटरी कोऑपरेटिव । सर, सर सर ये बोले हैं सर वो करेंगे सर ये करेंगे ऐ साले सर ही तो है यहां आम आदमी कौन है । बिहार में साला । कहां ये मर गया रोहतास..... किधर है सर सर दिखाओ ..बिक्रमगंज .. अरे ये जो कोऑपरेटिव का बंदर बैठा है , उसको लेकर जाओ कल टेक ओवर करो बंदर को.... ये भैया ..तेरा........उल्लू के पट्ठे इडियट गधा दस हजार देना है तो दस हजार पर कराओ.... सबके सब सब निकम्मे गधे ।

Scanned with OKEN Scanner

Annex-1/2

(11)

Date of Order	ORDER WITH SIGNATURE	Office notes as to action if any taken on order

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
C.W.J.C. No. 6206/2000.

****

Vikash Chandra @ Guddu Baba

vs.

Union of India & ors.

****

6. 08/09/2005.

Mr K.K. Pathak, Project Director, Bihar State Aids Control Society, Govt. of Bihar is present in Court. It has been stated that the Blood Bank is now functioning. In that view of the matter, no further order is required to be passed with regard to these matters.

However, Mr Rama Kant Sharma, learned counsel brought to our notice about the notings made by the Project Director Mr Pathak wherein certain derogatory words have been used against certain persons. Mr Pathak regrets for the language used by him in the concerned file and submits that due to heavy rush of work and in a hurry he made these notings. He further submits that there was no deliberate intention on his part to defame any person. We accept the statements made by him before the Court with the expectation that he will not give rise to such an occasion in future.

Sd/- Nagendra Rai, J.

Sd/- Barin Ghosh, J.

OK.

Vinod Press, Patna-20 (3 ...) 8/2005

TYPE COPY

ANNEXURE-I/2

Sl. No. of Order	Date of Order	Order with signature	Office Notes as to action (if any) taken on order
		In the High Court of Judicature at Patna **CWJC No. 6308/2000** **Vikash Chandra & Guddu Baba** **Vs.** **Union of India & Ors.**	
01.	06/09/2005	Mr. K.K. Patnak, Project Director, Bihar State Aids Control Society, Govt. of Bihar is present in Court. It has been stated that the Blood Bank is now functioning. In that view of the matter, no further order is required to be passed with regard to these matters. However, Mr. Rama Kant Sharma, learned Counsel brought to our notice about the notings made by the Project Director Mr. Pathak wherein certain derogatory words have been used against certain persons. Mr. Pathak regrets for the language used by him in the concerned file and submtis taht due to heavy rush of work and in a hurry he made these notings. He further sumits that there was no deliberate intention on his part to demae any person. We accept the statements made by him before the Court with the expection that he will not give rise to such an occassion in future. Sd/- Nagendra Rai, J. Sd/- Barin Ghosh, J.	

Binod Press Patna-2 (3 illegible) 8/2005

Scanned with OKEN Scanner

Annex-I/3

12

पत्रांक–07 दिनांक–02.02.2023

सेवा में,

थानाध्यक्ष,

सचिवालय थाना, पटना।

विषय–सोशल मिडिया पर प्राप्त वीडियो जिसमें श्री के. के पाठक, अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग – सह– महानिदेशक, बिपार्ड द्वारा दिये गये वक्तव्य की जाँच करने एवं उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं सुनील कुमार तिवारी, पिता– स्व0 पृथ्वीराज तिवारी, महासचिव, बिहार एडमिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन, बासा भवन, इन्कमटैक्स गोलबंर थाना– कोतवाली, पटना सूचित करना है कि मेरे सेवा के नये पदाधिकारियों की ट्रेनिंग बिपार्ड में चल रही है इसी दौरान एक विडियो प्राप्त हुआ तथा कुछ ट्रेनी से सूचना प्राप्त हुई कि ठंड में 5 बजे सुबह उठाकर जबरदस्ती कठोर शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे एक सहकर्मी स्व0 विवेक कुमार की मृत्यु ट्रेनिंग के दौरान हो गई थी।

इस आधार पर संघ की कार्यकारिणी की बैठक कर ट्रेनिंग में अपेक्षित सुधार हेतु मुख्य सचिव महोदय से लिखित अनुरोध किया गया। बासा के इस ज्ञापन के कारण श्री के0के0पाठक, महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान–सह–अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा संघ एवं उनके सदस्यों से काफी क्रोधित हो गये तथा प्रेस विज्ञप्ति कर अनाप–सनाप आरोप लगाया गया। उनके इशारे पर इसी क्रम में सहायक निबंधन, महानिदेशक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा हमारे संघ की मान्यता विधि विरूद्व तरीके से रद्द कर दी गई जबकि बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रेशन नियमावली 2018 में उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं है।

कल दिनांक–01.02.2023 को संध्या 07.30 बजे के आसपास सोशल मिडिया पर 36 सेकेंड का एक वीडियो प्राप्त हुआ है। वीडियो देखने से स्पष्ट है कि जिसमें श्री के. के पाठक, अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग –सह– महानिदेशक बिपार्ड द्वारा बिहार के निवासी एवं बिहार के बिहार एडमिस्ट्रेटिव सर्विस के पदाधिकारियों के लिए अभ्रद भाषा एवं गाली का प्रयोग किया जा रहा है। बिहार के वासियों एवं हमारी सेवा के पदाधिकारियों के लिए निम्न बाते कही गई है:-

"यहां का लोग आदमी जैसा है चेन्नई में आदमी साला बाएं से चलता है यहां देखे हो किसी को बाएं से चलते, लाल लाईट पर हॉर्न बजाते देखे हो किसी को, यहां साला ट्रेफिक पर पै पै हॉर्न बजायेगा साला यहां का आदमी आदमी है, डिप्टी कलेक्टर साले का यह हाल है, अब मैं इन सालों की मैं, अरे जारा दो चार लोग लिख कर दो कागज पर साला डिप्टी कलेक्टर इनकी ऐसी की तेसी करता हूँ कल जरा इसको भेजों मेरे को, मैं बासा का बैण्ड बजाता हूँ और जारा इसको मेरे को भेजों और 13 तारिख को और डिसक्स करेगें वेडन्सडेय को"

श्री पाठक द्वारा बिहार को लोगो तथा बिहार प्रशासनिक सेवा, डिप्टी कलेक्टर तथा बासा (बिहार एडमिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन) के प्रति गाली एवं आत्तिजनक शब्दों का प्रयोग

Scanned with OKEN Scanner

(13)

किया गया है, जो बेहद आपत्तिजनक तथा गैरकानूनी है इससे हमारी सेवा के सभी सदस्य आहत है। श्री पाठक जैसे उच्च पद पर पदस्थापित पदाधिकारी द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना इंगित करता है कि यह मानसिक रुप से बिहार के निवासी तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के प्रति विद्वेष की भावना रखते है.

विडियो देखने से स्पष्ट है कि यह वीडियो सचिवालय थाना अंतर्गत नया सचिवालय (विकास भवन) अवस्थित मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मिटिंग हॉल का है। इस वीडियो में कई पदाधिकारी बैठे दिख रहे हैं जिनसे इस वीडियो की सत्यता की सम्पुष्टि की जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि श्री के. के पाठक, अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग – सह– महानिदेशक बिपार्ड के विरुद्ध बिहारवासियों तथा डिप्टी कलेक्टर को गाली देने तथा अपमानजक शब्दों का प्रयोग करने हेतु भारतीय दडं सहिता की सुंसगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नकः– विडियो की सी0डी0

विश्वासभाजन

02/07/2023

सुनील कुमार तिवारी

महासचिव,

बिहार एडमिस्ट्रिेटिव सर्विस एसोसियेशन

Scanned with OKEN Scanner